THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI BALGOVIND VERMA) (a) to (c) The matter falls essentially in the State spheres

ECAFE Report and Workers Wages

1194 SHRI A K. SAHA Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government have taken note of the report of ECAFE which held its 27th session at Manila on April 20, 1971 which recommended that workers must be paid more in Asian Countries and urgent steps taken for more equitable distribution of national wealth, and

(b) if so the steps Government are taking to implement the U N expert Body's findings ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI BALGOVIND VERMA) (a) and (b) Government has taken note of the ECAFE Report which *inter alia* emphasised blending of economic growth with social justice including progressive reduction in income disparities, wider employment opportunities, better sharing of benefits of development, improved social services, etc for all sections of the society Government's policies, already accepted and being implemented, are also aimed at the same goals

बिहार सरकार का रोजगार संबंधी नीति के बारे में ज्ञापन

1195. **श्री रामावतार शास्त्री** . क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने एक ज्ञापन सरकार को प्रस्तुत किया है जिसमे केन्द्र सरकार की रोजगार संबंधी नीति के दोषो पर प्रकाश डाला गया है,

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बाते क्या है , और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सम्भवत: यहाँ देहाती क्षेत्रों मे नियुक्ति अवसर जुटाने हेतु निर्धारित केन्द्रीय सरकार के विशेष कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। बिहार सरकार का सुझाव आया है कि इस योजना के अधीन धन राशि का विनियतन विकास खण्डो की संख्या और जिलो म देहाती आबादी को ध्यान म रखकर किया जाना चाहिय न कि समान रूप म प्रत्येक जिले के लिये 12.50 लाख रुपय की दर से जैसा कि योजना मे निश्चित है।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि अधिकारी

1196. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि अधिकारी देश के सभी राज्यो मे काय कर रहे है ,

(ख) यदि हा, तो उस प्रत्यक राज्य मे जहाँ भविष्य निधि अधिनियम लागू है इस प्रकार के संस्थानो तथा उनमे काय करने वाले कर्मचारियो की संख्या क्या है ,

(ग) क्या दूसरे राज्यो की तुलना मे बिहार मे ऐसे समस्त संस्थानो मे से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक